एआईपीपी
भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी

1. धोखाघड़ी और भ्रष्टाचार को रोकना :

एआईपीपी का अपना संविधान, उपनियम और मूल्य हैं जो असहनशीलता और भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी का जो आधार होगा ।

यह पॉलिसी, सभी **एआईपीपी** के अफसरों एवं कर्मचारियों, साथ ही प्रत्यक्ष रूप से **एआईपीपी** के साथ प्रोजेक्ट में साझेदारी निभानेवाली सदस्य संस्थाओं और साझेदारों में भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के अनुसार स्वीकार्य और अस्वीकार्य आचरण को सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करती है ।

इसके अन्तर्गत सभी घरेलू और विदेशी नियमों के अनुसार निषिद्ध, किसी भी प्रकार का अनुचित भुगतान, उपहार या प्रेरणादायक / प्रलोभन देना और किसी भी व्यक्ति, एजेन्सी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर से प्राप्त करना सम्मिलित हैं ।

सरकारी और इसकी एजेंसियों के साथ कारबार करते समय भी यह पॉलिसी लागू होता है ।

एआईपीपी के आन्तरिक और बाह्य परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए,
आवश्यकता पड़ने पर,
और ई सी की सहमति से,
और / या सदस्यों के अल्प बहुमत से,
इसे अधिक प्रासंगिक और उपयुक्त बनाने के लिए
इसमे संशोधन लाया जा सकता है ।
सभी सदस्यों, साझेदारों और कर्मचारियों को
इस पॉलिसी का अनुपालन करना जरूरी है ।

1.1 एआईपीपी में भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी

भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी,
एआईपीपी की समस्त प्रशासन प्रणाली का अनिवार्य भाग है ।

1.1.1 पॉलिसी का उद्देश्य

इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है
भ्रष्टाचार के विरोध में बने
राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय पॉलिसियों के अनुसार
एआईपीपी में
भ्रष्टाचारी आचरण का सामना
कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से करने के कार्य में
जिम्मेदारी और पारदर्शिता को
सुनिश्चित करने के लिए
मापदण्डों को बढ़ावा देना (समर्थन देना) और मजबूत बनाना है ।

1.1.2 परिभाषा और कार्यक्षेत्र

इस दस्तावेज में
भ्रष्टाचार विरोध की परिभाषा
सामान्य रूप से

अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के द्वारा प्रयुक्त परिभाषा पर आधारित है ।

+ **घूस देने की प्रथा**

इसका अर्थ है
दूसरी पार्टी के कार्यों या निर्णयों को
प्रभावित करने के लिए और
अपने निहित स्वार्थ को
प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए
किसी भी प्रकार की मूल्यवान चीज
प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से,
चढ़ावा, लेन-देन के रूप में
ग्रहण करना या माँगना ।
किसी भी मूल्यवान चीज के अन्तर्गत
रोकड़, उपहार और सौजन्य (courtesies)आते हैं ।

+ **भ्रष्ट आचरण**

इसका अर्थ है
सुशासन और कानूनी शासन को दरकिनार करते हुए
अपने वैयक्तिक लाभ, और
निजी या सार्वजनिक सेवाओ और कारोबारों में आर्थिक लाभ के लिए
प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करना ।

+ **सुसाध्य भुगतान**

इसका अर्थ है
किसी भी काम या routing को
आगे बढ़ाने या शीघ्र संपादित करने के लिए
सरकारी अधिकारियों या किसी अन्य पार्टी को
छोटी रकम का भुगतान करना ।

+ **कपटपूर्ण आचरण**

इसका अर्थ है
गलत तरीके से आर्थिक
या किसी भी प्रकार का लाभ पाने के लिए
या किसी भी नैतिक दायित्व से बच निकलने के लिए
दूसरी पार्टी को ठगने के मतलब से लिया गया
कोई कदम ।

+ **मिलीभगत से पूर्ण आचरण**

तीसरी पार्टी की जानकारी के बिना,
दो या दो से अधिक हस्तियों के बीच
किसी गुप्त समझौते / अनुबंध के द्वारा

तीसरी पार्टी के कार्यों को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिया बनायी गई बुरी योजना (षडयंत्र) ।

+ जोरजबरदस्तीपूर्ण आचरण
इसका अर्थ है
किसी पार्टी के कार्यों को
गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
उस पार्टी से संबंधित चल-अचल संपत्ति या व्यक्तियों को
क्षति पहुंचाना या हानि पहुंचाना
या क्षति या हानि पहुँचाने की धमकी देना ।

+ प्रतिशोध
इसका अर्थ है
किसी एक व्यक्ति
या किसी सत्ता के द्वारा
एआईपीपी के नियमों-अधिनियमों को तोड़ने
या उनका अनुपालन न करने का उदघाटन करने वाले
एआईपीपी के कर्मचारी या किसी सत्ता के विरुद्ध में ली गयी कोई भी कारवाई ।

+ रहस्योद्घाटन
इसका अर्थ है
एआईपीपी का कोई कर्मचारी
या कोई तीसरी पार्टी
जो **एआईपीपी** के किसी कार्य / प्रोजेक्ट / प्रोग्राम में व्याप्त
किसी भ्रष्टाचार को
एआईपीपी के सम्बद्ध अधिकारी के समक्ष
प्रकट रूप से या गुमनाम रूप से
उदघाटित करता है ।

+ रहस्योद्घाटन करनेवाले की सुरक्षा
इसका अर्थ है
कोई भी जो
एआईपीपी के कार्यों में व्याप्त
धोखाघड़ी और भ्रष्टाचार को उजागर करता है
उसे प्रतिशोध से बचाए रखने के लिए
की गयी काररवाईयाँ ।

इस पॉलिसी की व्याप्ति
नैतिक आचरण या
कर्मचारियों और परामर्शदाताओं की
कार्यप्रणाली में हुई गलतियों को,

सम्मिलित नहीं करती है,
जो भ्रष्ट, धोखेबाज, कपटपूर्ण और जोरजबरदस्ती से काम करने वाले आचरण के अन्तर्गत नहीं आती है ।
(जैसे : उत्पीड़न, कुप्रबन्ध, अशिष्ट व्यवहार,
वैधिक और संविदात्मक इकरारनामा (अनुबंध पत्र) भंग जिसमें धोखाघड़ी, भ्रष्टाचार, कपटपूर्ण व्यवहार या जोरजबरदस्ती सम्मिलित न हो) ।
एआईपीपी की अन्य पॉलिसियाँ और कार्यशैलियाँ इस प्रकार की गलतियों से निपटने के लिए
उपयुक्त दण्ड या उपचार (प्रतिविधान) का
उपयोग करती है ।

1.2 **एआईपीपी के कर्मचारी, व्यक्ति और प्रोजेक्ट / कार्य, साझेदार**

एआईपीपी पूर्ण असहिष्णुता की पॉलिसी अपनाएगी जहाँ जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया द्वारा
यह निर्धारित हो जाता है कि
इसके कर्मचारी, परामर्शदाता या प्रोजेक्ट / कार्य से जुड़े साझेदार
धोखाघड़ी, भ्रष्टाचार, कपटपूर्ण व्यवहार मे लिप्त हैं । पूर्ण असहिष्णुता का अर्थ है कि
एआईपीपी इस पॉलिसी के
दायरे के भीतर आनेवाली सभी आरोपों की जाँच पड़ताल जारी रखेगी
और जहाँ आरोप की पुष्टि हो जाती है वहाँ उपयुक्त दण्ड दिया जा सके ।

ऐसे सभी मामलों में
एआईपीपी के उपयुक्त नियमों और अधिनियमों और संविदात्मक व्यवस्था के अनुसार
एआईपीपी कई प्रकार की अनुशासनात्मक काररवाई और दण्ड लागू करेगी ।
इस काररवाई के अन्तर्गत जहाँ न्यायसंगत (उचित) सिद्ध हो वहाँ सक्षम राष्ट्रीय अधिकारियों की सहायता भी लेगी ।
जहाँ इस प्रकार के मामले सामने आते हैं
और इन मामलों से संबद्ध व्यक्ति
किसी और इकाई में कार्यरत है
तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए
एआईपीपी हर संभव कदम उठाएगी
कि वह ईकाई
पॉलिसी के अनुरूप उपयुक्त कार्यवाही करे ।

एआईपीपी
अपने आंतरिक नियंत्रण संशोधित करना जारी रखेगी जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाए कि
अपने कर्मचारियों, परामर्शदाताओं, या प्रोजेक्ट / कार्य साझेदारों और सरकार के साथ लेन-देन में
धोखेबाजी, भ्रष्ट, कपटपूर्ण और जोरजबरदस्तीपूर्ण आचरण को
रोकने, ढूंढ़ निकालने और जाँच-पड़ताल करने में
यह प्रभावकारी है ।
ऐसे व्यक्तियों और एजेन्सियों को
प्रतिशोध से बचाने के लिए
यह हर संभव कदम उठायेगी
जो क्रियाओं और कार्यकलापों के भ्रष्ट आचरण को प्रस्तुत करते हैं,

और ऐसे लोग जो अनुचित और दुर्भावपूर्ण आरोपों
के अधीन हैं ।

1.3 रोकथाम और अवरोधन

बेइमानी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध
अपनी कार्यवाही में
आंतरिक नियंत्रण का ढांचा
संगठन का मुख्य कवच है ।

इस संबंध में
एआईपीपी की नियंत्रण प्रणाली
अनियमित प्रक्रिया की रोकथाम
और अवरोधन के क्षेत्र में
समय के साथ साथ
परिवर्तनशील क्रियाशील रीति और आवश्यकता के अनुरूप विकसित हुआ है

हाल के वर्षों में
एआईपीपी के
सदस्यों और नेटवर्क के साथ
प्रोजेक्ट साझेदारी के फैलते हुए विस्तार
इसकी फैलती हुई उपस्थिति और
परामर्शदाताओं की बढ़ती संख्या जैसे विकास के कारण
ऐसी नियंत्रण प्रणाली के मजबूतीकरण को बल मिला है ।
एआईपीपी नियम और अधिनियम
वैधिक उपकरण और नियंत्रण प्रणाली
(आंतरिक रोकथाम और अर्थ प्रबंधन का संतुलन
और बाह्य अंकेक्षण इसमें शामिल हैं)
स्टाफ, परामर्शदाताओं और प्रोजेक्ट साझेदारों के
सही आचरण के पारामीटर को पारिभाषित और पुष्ट करते हैं
और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की घटनाओं के विरुद्ध
रोकथाम और अवरोधन नियंत्रण स्थापित करते हैं ।
तत्कालीन पहलों के क्रमों के द्वारा
वर्तमान रोकथाम और अवरोधन ढांचे को रूप दिया गया है ।

सतत आगे चलने वाले पहल (2013)
प्रबंधन शासन प्रणाली को व्यवस्थित करना,
स्टाफ के निरीक्षण की पॉलिसी और प्रणाली को बेहतर बनाना,
योग्यता पर आधारित बहाली प्रक्रिया,
कार्यों के मूल्यांकन,
प्रशिक्षण, क्षमता विकास और बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन और ए आई पी पी का स्पष्ट रूप से व्याख्यायित
आचार संहिता, स्वीकृत मर्यादा

एआईपीपी के कर्मचारियों के नैतिक व्यवहार के द्वारा अधिक नैतिक और जिम्मेदाराना
सामूहिक संस्कृति को रूप दे रहा है ।
ये सब तत्त्व के रीजनल सेक्रेटेरिएट
के द्वारा 2013 में प्रकाशित
एआईपीपी के ऑपेरेशनल मैन्युअल में है ।
संशोधित आर्थिक प्रबंधन पॉलिसी और
एआईपीपी स्टाफ और प्रोजेक्ट साझेदारों के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण मैन्युअल
आर्थिक प्रबंधन पर क्षमता निर्माण ने
परिवर्द्धित क्षमताओं, अधिक पारदर्शिता और
क्रयविक्रय के विषय में बेहतर सुलभ सूचना
का सृजन किया है
और आर्थिक और उपलब्धि क्रियाओं के
बेहतर नियंत्रण को सरल और कारगर बना दिया है ।

एआईपीपी ने
किसी भी कर्मचारी के द्वारा सम्पत्ति के दुरुपयोग, क्षति, और नुक़सान से संबंधित देयादेय (देना-पावना) प्रबंधन ढांचा का आरंभ किया है ।

1.4 अगला सोपान

कोई समाज और संगठन भ्रष्टाचार के अधीन रहता है यद्यपि वहाँ अच्छी तरह स्थापित नियंत्रण और संतुलन होता है ।
भ्रष्टाचार कहीं भी दिखाई दे सकता है
यदि वहाँ सही निगरानी और प्रभावी प्रतिकूल काररवाही न हो ।
एआईपीपी भी स्वीकार करती है कि
वर्तमानकालित सुधारों के होते हुए भी
अच्छी प्रक्रियाओं के विकसित होने के साथ साथ
प्रभावी नियंत्रण और समन्वय के प्रति सुनिश्चित होने के लिए
ऐसी निगरानी और प्रतिकूल काररवाहियों को विकसित करने की जरूरत पड़ेगी ।
पूर्ण असहिष्णुता पॉलिसी पर दृढ़ रहना होगा ।
इसके साथ **एआईपीपी** के सदयों, कर्मचारियों, प्रोजेक्ट भागीदारों और प्रत्येक जन को उचित मार्गदर्शन देते हुए इन पॉलिसियों को वैधिक और कार्यविधिक दस्तावेज में जोड़ना होगा (जहाँ ये अब तक प्रतिबिम्बित नहीं हैं) । भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय, दृढ़ संकल्प और सामंजस्य का होना बहुत महत्त्वपूर्ण है ।

1.5 उत्तरदायित्व

भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी के अनुपालन के निरीक्षण के लिए एक्जेक्यूटिब काउन्सिल उत्तरदायी है ।
विशेषकर सक्रेटेरिएट के भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी के अनुपालन को मॉनिटर करने के लिए अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे ।
उसी तरह
अपने अपने संगठनों में भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी के अनुपालन के मोनिटरिंग के लिए **एआईपीपी** के साझेदार संगठनों के प्रधान उत्तरदायी होंगे ।

1.6 सूचना और स्थिति निर्धारण

पॉलिसी का अनुपालन करने के लिए
भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी की सूचना सारे **एआईपीपी** के सदस्यों, साझेदारों और कर्मचारियों को दी जाएगी ।
यदि जरूरत पड़े तो **एआईपीपी** के सदस्य और साझेदार इस पॉलिसी को अपनी राष्ट्रीय भाषा में अनूदित करेंगे ।
उचित अवसर पर जैसे
प्रोजेक्ट साझेदारों के लिए वर्कशोप मीटिंग के समय, और प्रोग्राम कमिटी की मीटिंग में
भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी पर
कर्मचारियों, सदस्यों, साझेदारों को ओरिएन्टेशन दिया जाएगा ।
एआईपीपी के वेब-साइट में
भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी के स्टेटमेन्ट (बयान, विवरण, वक्तव्य) उपलब्ध होंगे ।
वार्षिक रिपोर्ट में पॉलिसी स्टेटमेंट प्रकाशित होंगे ।

1.7 भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी का कार्यान्वयन

चित्र : **एआईपीपी** में भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए फ्लो चार्ट
(क) **एआईपीपी** में भ्रष्ट व्यवहार पर की गई शिकायतें ।
(ख) जाँच-पड़ताल कमिटी (आई सी) के द्वारा दी गई शिकायत पर जाँच पड़ताल ।
(ग) जाँच पड़ताल से प्राप्त जाँच परिणाम का पुनरावलोकन और सत्यापन । और दण्ड विधान कमिटी (एस सी) के द्वारा उचित दण्ड का निर्णय ।
(घ) दण्ड विधान कमिटी के द्वारा निश्चित किए गए दण्ड का कार्यान्वयन

1.7.1 शिकायतों की प्रणाली (माध्यम)

सभी प्रकार की आर्थिक धोखेबाजी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के शक या संदेह को
तुरन्त
एआईपीपी के द्वारा स्थापित गोपनीय प्रणाली से
एआईपीपी एडवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेन्ट को
सीधे रिपोर्ट करना चाहिए ।
रहस्योदघाटन करने वाले की अनामत्व (anonimity) का आदर किया जाएगा और उसका अनामत्व संरक्षित रहेगा ।

इस मतलब से,
गोपनीय रिपोर्टिंग के लिए
निम्नलिखित संचार के साधनो की स्थापना की जाएगी ।

+ गोपनीय रिपोर्टिंग के लिए

एआईपीपी एडवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेन्ट के द्वारा संचालित
एक गोपनीय भ्रष्टाचार विरोधी हॉट-लाइन और एक ई-मेल की स्थापना की गई है ।
इन माध्यमों के द्वारा
सभी भ्रष्ट आचरणों
और किसी भी दोषारोपण की सूचना
एआईपीपी एडवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेन्ट दी जाएगी । परामर्श प्रक्रिया में बोर्ड के 2-3 मेम्बरों वे सम्मिलित

करेंगे ।
टेलीफोन नम्बर और ई-मेल अड्रेस सभी सेक्रेटेरिएट को सदस्यों को दी जाएगी ।
यह सभी सदस्यों और साझेदारों को सूचित कर दिया जाएगा ।
और इसे **एआईपीपी** की वार्षिक रिपोर्ट, वेबसाइट और अन्य माध्यमों में प्रकाशित किया जाएगा ।
इन माध्यमों के कार्यान्वयन में
आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

+ एक सरल आरूप (format) का विकास किया जाएगा जो सदस्यों और सोझेदारों के बीच परिचालित (प्रचारित) किया जाएगा, साथ ही **एआईपीपी** के वेबसाइट में भी डाला जाएगा ।

रहस्योदघाटन करनेवालों को
आवश्यक सूचना देने के लिए
इस आरूप (format) को प्रयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । इसके लिए वे अपनी सूझबूझ और समझदारी का प्रयोग करें ।
यहा आरूप (format) इसलिए दिया जा रहा है कि **एआईपीपी** जाँच कमिटी बिना किसी रुकावट के (सुनिश्चित होकर कि उनके पास काफी मात्रा में जाँच कार्य करने किए सूचनाए उपलब्य हैं) अपना काम कर सके ।
जाँच कमिटी (आई सी) जाँच के दौरान
और अतिरिक्त (पूरक) सूचना खोज सकती है ।

Complaints Channel:
Email:chupinit@gmail.com
Mobile : + 66896813536

1.7.2 जाँच कमिटी (आई सी)

किसी भी आरोपित भ्रष्टाचार या
भ्रष्ट आचरण में लिप्तता के संदेह होने
की शिकायत आने पर
एआईपीपी एडवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेन्ट,
उन दोषारोपणों को निर्धारित करने / उनका मूल्यांकन करने के लिए
अपने एडवाइजरी बोर्ड के अन्य सदस्यों (कम से कम बोर्ड के तीन सदस्यों की) की मीटिंग बुलाएंगे ।
यदि बोर्ड समझती है कि शिकायत सही है या शिकायत में कुछ दम है, तो एक जाँच कमिटी का गठन किया जाएगा ।
रिपोर्ट प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्तर्गत
जाँच कमिटी (आई सी) का गठन हो जाना चाहिए ।

जाँच कमिटी (आई सी) का संघटन (गठन)
एआईपीपी एडवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेन्ट के नेतृत्व में जाँच कमिटी (आई सी) का गठन निम्नलिखित तरीके से होगा

+ एडवाइजरी बोर्ड के तीन सदस्य
+ कम से कम दो न्यायनिष्ठा (सत्यनिष्ठा) सम्पन्न व्यक्ति
+ एक अधिवक्ता (बोर्ड के द्वारा अनुशंसित - ऐसे मामलों के लिए जो गंभीर कानूनी उलझन पैदा कर सकते हैं)।

1.7.3 दण्ड विधान कमिटी (एस सी)

दण्ड विधान कमिटी में पाँच (5) सदस्यों से अधिक नही होंगे । वे सदस्य
ई सी सदस्यों के बीच से और
एआईपीपी एडवाइजरी बोर्ड के निर्दिष्ट व्यक्तियों में से होंगे ।
ई सी के अध्यक्ष एस सी के अध्यक्ष होंगे
साथ ही **एआईपीपी** एडवाइजरी बोर्ड के निर्दिष्ट व्यक्ति और ई सी या बोर्ड के तीन अन्य मेम्बर होंगे ।

एस सी जाँच से प्राप्त जाँच परिणाम का पुनरावलोकन करेगी और दोषी पाई पार्टी पर लगाने के लिए उपयुक्त दण्ड का निर्धारण करेगी ।

जाँच और दण्ड के आधार पर
उसी के अनुसार ई सी
भ्रष्ट व्यक्ति / अफसर / पार्टी पर काररवाई करेगी ।
ई सी इसे सेक्रेटरी जेनेरल को भी
आवश्यक काररवाई के लिए दे सकती है
विशेष रूप से यदि ये भ्रष्ट आचरण सेक्रेटेरिएट में हुए हों ।
जबकि
ई सी इस बात का निर्णय लेगी और
यदि आवश्यकता पड़े तो
एस जी और प्रोग्राम कमिती से विचार विमर्श कर
एआईपीपी के सदस्यों और साझेदारों से संबंधित मामलों पर काररवाई करेगी ।

अनेक मामलों में
ई सी और **एआईपीपी** एडवाइजरी बोर्ड,
एस जी और सेक्रेटेरिएट से सलाह मशविरा कर
जैसा उचित हो,
भ्रष्टाचार के इन मामलों को अन्दर ही अन्दर
निपटाएगी ।
यदि मामला गंभीर हो,
जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया जैसे न्यायालय जाने की आवश्यकता हो,
तो आवश्यकता के अनुसार
अतिरिक्त कानूनी मदद के लिए
किसी भरोसेमंद अधिवक्ता को किराये पर लिया जा सकता है ।

1.8. उल्लंघन का परिणाम

सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों का परिणाम होगा
तत्काल जाँच और
किसी भी दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर उपयुक्त काररवाई ।
जब तक किसी को दोषी करार नहीं कर दिया जाता है तब तक **एआईपीपी**
कार्यवाही की क्रियाविधि की प्रक्रिया का
पालन करते हुए

निर्दोषता के सिद्धान्त का समर्थन करेगी ।

एआईपीपी के कर्मचारियों के बाबत में,
यदि कोई कर्मचारी किसी भी रूप में भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है,
जैसा कि पहले पारिभाषित किया जा चुका है,
तो इसकी सूचना सभी अन्य स्टाफ, सदस्यों और साझेदारें को, -
अन्य उपयुक्त काररवाई के साथ साथ
निरोधक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए -
दे दी जाएगी ।

1.9 रिपोर्ट की सूचना (संप्रेशन)
भ्रष्टाचार की सारी घटनाओं या
भ्रष्टाचार की शंका वाले किसी भी काम
का परिणाम एक रिपोर्ट में दिया जाएगा जिसमें
बाद में होने वाली
कठोरता और
विषय वस्तु और काररवाई की व्याप्ति (गुंजाइश)
की बात कही जाएगी ।
सारी रिपोर्ट ई सी और **एआईपीपी** के एडवाइजरी बोर्ड को भेजी जाएंगी ।

1.10 गोपनीयता
सारी सूचनाएं जो इसे प्राप्त होती है,
साथ ही जो व्यक्ति शिकायत भेजता है या किसी दुराचार के बारे में अपनी चिंता की सूचना देता है उसकी
पहचान को लेकर
एआईपीपी
गोपनीयता का पालन सख्ती से करेगी ।

एआईपीपी
किसी भी रहस्योदघाटन करने वाले व्यक्ति को
प्रतिशोध से सुरक्षा देने के लिए वचनबद्ध है
जिसने नेकनीयती से
तथाकथित बेईमानी या भ्रष्टाचार का रिपोर्ट किया है
या जिसने जाँच प्रक्रिया में
सक्रिया रूप से सहयोग दिया है ।

परन्तु
यदि **एआईपीपी** इस निर्णय पर पहुंचती है कि
जो सूचना उसे प्राप्त हुई है वह विद्वेषपूर्ण है या सोच समझकर गलत दिया हुआ है;
तो एआईपीपी उसपर उपयुक्त काररवाई करेगी ।

किस प्रकार की बातें एआईपीपी में रिपोट करनी है ?

एआईपीपी सेक्रेटेरिएट की योजना के तहत,
प्रोजेक्ट और प्रोग्राम क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में,
एआईपीपी धोखाघड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों की खोज-पड़ताल करती है ।

एआईपीपी को रिपोर्ट करने से संबंधित मामलों के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

+ देश के नियम का उल्लंघन करते हुए **एआईपीपी** के कर्मचारियों के द्वारा सरकारी अधिकारियों को घूस या उपहार देना ।
+ **एआईपीपी** के स्टाफ मेम्बरर्स और **एआईपीपी** के साथ प्रोजेक्ट या कार्य कार्यान्वित करने वाले कोई व्यक्ति या हस्ती जो धोखाघड़ी या भ्रष्टाचार में लिप्त हो ।
+ संदिग्ध संविदा अनियमितताएँ और **एआईपीपी** की प्राप्ति मार्गदर्शिका के उल्लंघन ।
+ किसी मतलब से,

जैसे संविदा प्राप्ति को प्रभावित करने के लिए,
दिया जा रहा घूस, रिश्वत, या इनाम ।
+ संविदा प्रदान करने के एवज वैयक्तिक लाभ और हक ।
+ प्राप्त वैयक्तिक कृपादृष्टि के बदले में
उपहारों का अनुपयुक्त लेन-देन ।
एआईपीपी के स्टाफ मेम्बरर्स,
एआईपीपी के सदस्य, और साझेदारों के लिए
धोखाघड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट
दिए गए हॉट लाइन और/या ई-मेल के द्वारा
तत्काल भेजना अपेक्षित है ।